THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASING (SHRI AJIT PANJA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Surplus of Milk and Milk Products

1402. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a result of Operation Flood I, II and III, there is surplus of mlik and milk products in states like Maharashtra and Gujarat;

(b) whether milk products are likely to be exported especially to cater to affluent Indians living abroad; and

(c) whether as a result of gifts under Operation Flood-III, there is a likelihood of surplus of milk products in the country and subsequent reduction in prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) As a result of Operation Flood programmes and implementation of various programmes at Central and State levels, milk production in Maharashtra and Gujarat has increased. This does not, however, imply a real surplus of milk. There could be seasonal surplus in a certain year in a given State following a good agricultural year which might decline under the impact of a subsequent drought. Thus the concept of surplus is really contextual.

(b) There is no such proposal under consideration.

(c) No, Sir. The conserved gift commodities under Operation Flood III are to serve the twin objectives of generating funds for the programme and provide for a buffer stock necessary to take care of lean years. The commodities will be priced in such a way as not to affect domestic prices or production

डी०सी०एम० और डी०डी०ए० द्वारा धोखाधड़ी

1403. **श्री अश्वनी कुमार** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कुछ समय पहले दिए गए आश्वासनो के अनुसार, डी० सी० एम० और डी० डी० ए० द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी ; यदि हां, तो क्या समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है , यदि हा, तो समिति का प्रतिवेदन कब तक सभा पटल पर रख दिए जाने की संभावना है; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपर्युक्त जाच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर या श्रम विभाग द्वारा डी० सी० एम० को बन्द करने की अनुमति देने से इनकार करने के आधार पर 1 फरवरी, 1983 का प्रस्ताव संख्या 26 और 1 अगस्त, 1986 का प्रस्ताव संख्या 3 वापस ले लिए गए है ; और यदि हां, तो इस बारे मे वास्तविक स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राज्य सभा मे दिनांक 2-5-85 को श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सामान्य रूप से विशेषरूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन और सरकार के विरूद्ध आलोचना तथा आरोपो को गम्भीरता से लेते हुए डी० सी० एम० परिसर के पुनर्विकास को अनुमति देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के 1-2-83 के संकल्प संख्या 26 को पारित करने, नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कम्पनी की भूमि के सम्बन्ध में कम्पनी को छूट देने और मिल को बन्द करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमति देने से इन्कार करने की जांच पड़ताल